



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61043

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 39055 वर्ष 2025

सोनू एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपने सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: पुष्पेन्द्र सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह की ओर से अस्थायी रूप से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वाजिद जमाल, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत दिनांक 09.08.2023 के आरोप-पत्र, वाद अपराध संख्या 0192 वर्ष 2023 में तथा दिनांक 26.10.2023 के संज्ञान आदेश, जो विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/त्वरित न्यायालय द्वितीय, अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ द्वारा पारित किया गया है, तथा वाद संख्या 779 वर्ष 2023 (राज्य बनाम सोनू एवं अन्य), धारा 498-ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना हरदुआगंज, जनपद

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अलीगढ़ की संपूर्ण कार्यवाही को दिनांक 29.01.2025 के समझौते के आधार पर निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिनांक 29.01.2025 के समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है तथा जिसका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 19.05.2025 के आदेश के माध्यम से विधिवत सत्यापन किया जा चुका है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 के मध्य वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि पक्षकारों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा बिना किसी दबाव, धमकी अथवा जोर-जबरदस्ती के समझौता किया है और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रतिशपथपत्र एवं प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों की सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया।

6. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 एस.सी.सी. 675** में दिए गए निर्णय के आलोक में यह प्रतिपादित किया गया है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, जहां पक्षकारों के मध्य वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जिसमें शमनीय अपराधों का उल्लेख है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती है और इस शक्ति का प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौते को प्रोत्साहित करने तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, भले ही अपराध अन्यथा अशमनीय हों।”

8. माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303** में यह प्रतिपादित किया गया है कि “ऐसे आपराधिक मामले, जिनमें प्रमुख रूप से एवं मूलतः दीवानी प्रकृति का तत्व हो, कार्यवाही को निरस्त करने के उद्देश्य से भिन्न आधार पर विचारणीय होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी अथवा इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न हुए हों या वे अपराध जो वैवाहिक संबंधों, दहेज आदि अथवा पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों, जहां मूलतः किया गया कृत्य निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके मत में समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण एवं दूरस्थ हो तथा आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न एवं पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं अंतिम समझौता हो जाने के बावजूद आपराधिक मामला निरस्त न किए जाने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।”

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिनभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641** में समझौते के आधार पर अंतर्निहित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि “अशमनीय अपराधों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, जिससे न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत हो और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।”

10. पक्षकार संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाही को वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। अभिलेख के परिशीलन तथा उपर्युक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान मामला समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है।

11. विवाद पूर्णतः वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका पक्षकारों ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पारस्परिक रूप से निपटारा कर लिया है। अतः अभियोजन को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

12. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान निरस्तीकरण आवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11642 वर्ष 2019, दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वाद अपराध संख्या 0192 वर्ष 2023 की संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 26.10.2023 का संज्ञान आदेश, जो विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/त्वरित न्यायालय द्वितीय, अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ द्वारा पारित किया गया है, तथा वाद संख्या 779 वर्ष 2023 (राज्य बनाम सोनू एवं अन्य), धारा 498-ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना हरदुआगंज, जनपद अलीगढ़ की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

14. तदनुसार, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

24 मार्च, 2026

शिवान

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

Translated Version. Not For Legal Use

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”